रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 1971/चैत्र 11, 1893
No. 60] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1971/CHAITRA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st April 1971

G.S.R. 487.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 90/68-Central Excises, dated the 30th April, 1968, the Central Government hereby exempts steel furniture falling under Item No. 40 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), up to a value not exceeding rupees fifty thousand, cleared on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories for home consumption from the whole of the duty of Excise leviable thereon:

Provided that—

(i) where a actory producing steel furniture is run at different times of any financial year by different manufacturers, the value of such steel furniture so cleared from such factory in any such year at nil rate of duty shall not exceed rupees fifty thousand;

(ii) this exemption shall apply only to the first clearances up to a value not exceeding rupees fifty thousand in a financial year:

Provided further that this exemption shall not be applicable to a manufacturer whose value of steel furniture cleared in the preceding financial year had exceeded rupees two lakhs:

Provided also that in respect of steel furniture manufactured by a manufacturer who had no clearances in the preceding financial year, this exemption shall be applicable where the value of such steel furniture cleared during the financial year does not exceed rupees two lakhs.

Explanation—In computing the value of rupees fifty thousand and the value of rupees two lakhs, the value of—

(a) parts of steel furniture;

(b) items of furniture specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 91/68-Central Excises, dated the 30th April, 1968, shall be excluded.

[No. 33/71/F. No. 33/58/68-CX-4]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1971

सा० का० नि० 487 —केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 90/68—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1968 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 40 के अन्तर्गत आने वाले पचास हजार रुपए से अनधिक तक के मूल्य के इस्पात फर्नीचर को, जिसकी किसी भारतीय वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या के पश्चात् विनिर्माता की ओर से एक या एक से अधिक कारखानों से गृह उपभोग के लिए निकासी की गई हो, उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ;

परन्तु;

(1) जहां इस्पात का उत्पादन करने वाला कारखाना किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता है वहां ऐसे कारखानों से किसी ऐसे वर्ष में शुल्क की शून्य दर पर इस प्रकार निकासी किए गए इस्पात फर्नीचर का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगा;

(2) यह छूट किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपए से अनधिक मूल्य तक की प्रथम निकासियों को ही लागू होगी :

परन्तु यह और कि यह छूट उस विनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निकासी किए गए इस्पात फर्नीचर का मूल्य दो लाख रुपए से अधिक था ;

परन्तु यह और भी कि उस विनिर्माता द्वारा इस्पात फर्नीचर की बाबत, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई निकासी नहीं हुई थी; यह छूट वहां लाग होगी जहां वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए गए ऐसे इस्पात फर्नीचर का मूल्य दो लाख रुपए से अधिक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण :—पचास हजार रुपए मूल्य और दो लाख रुपए मूल्य की संगणना करने में—

(क) इस्पात फर्नीचर के पुर्जों;

(ख) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 91/68–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1968 में विनिर्दिष्ट इस्पात की वस्तुओं;

का मूल्य अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

[सं० 33/71/फ० सं० 33/68/68–सी० एक्स० 4]

एस० के० धौशाल,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971